

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक/2 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (2) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित रेडियोग्राफर को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-


क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5
1	बृजलता बघेल	सामु.स्वा.केन्द्र उसूर जिला बीजापुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बस्तर के अधीन रिक्त स्वास्थ्य संस्था	प्रशासनिक
2	श्री अशोक कुमार नाग	सामु.स्वा.केन्द्र विश्रामपुरी जिला कोण्डागांव	जिला चिकित्सालय कांकेर	स्वयं के व्यय पर
3	श्री कुलेश्वर प्रसाद देशमुख	सामु.स्वा.केन्द्र नवागढ़ जिला जांजगीर	जिला चिकित्सालय दुर्ग	स्वयं के व्यय पर
4	श्री मुकेश कुमार श्रीवास	नेशनल स्वास्थ्य संस्था साजा जिला बेमेतरा	सामु.स्वा.केन्द्र पामगढ़ जिला जांजगीर	स्वयं के व्यय पर
5	श्री अजीत सिदार	सामु.स्वा.केन्द्र मनोरा जिला जशपुर	सामु.स्वा.केन्द्र पत्थलगांव जिला जशपुर	स्वयं के व्यय पर
6	कु. पुनम चन्द्राकर	सामु.स्वा.केन्द्र भानुप्रतापपुर जिला कांकेर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बस्तर के अधीन रिक्त स्वास्थ्य संस्था	प्रशासनिक
7	चन्द्रीका प्रसाद पटेल	सामु.स्वा.केन्द्र चपले, खरसिया जिला रायगढ़	सामु.स्वा.केन्द्र लोईग जिला रायगढ़	प्रशासनिक
8	श्री चन्द्रहास सिंह ठाकुर	सामु.स्वा.केन्द्र मोहला जिला राजनांदगांव	सामु.स्वा.केन्द्र पाटन जिला दुर्ग	प्रशासनिक
9	श्री संजेश राजपूत	शास. 10 बिस्तर अस्प. केम्प-2 भिलाई जिला दुर्ग	जिला चिकित्सालय बिलासपुर	प्रशासनिक
10	रिंकी मरावी	सामु.स्वा.केन्द्र पाटन जिला दुर्ग	सामु.स्वा.केन्द्र डोगरगढ़ जिला राजनांदगांव	प्रशासनिक

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

UTaker

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (2)

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
 02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
 03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
 04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
 05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
 06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
 07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
 08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
 09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
 10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
 11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
 12. संबंधित की ओर सूचनार्थ
- एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. स्टाक फाईल।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग